न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 07/18

अनवान :

मदन लाल पुत्र नेकीराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. नेकीराम पुत्र मंगलाराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गोविन्दराम पुत्र नेकीराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुदेश
4. भतेरी
5. अन्नु

} पुत्रियान मंगलाराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

6. एच.के.एस.बी.बैंक भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 16.3.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 17/15 के खसरा सं0 5 की 7.7650 है0 व खसरा सं0 134 की 1.6950 है0 इस प्रकार इस खाता की कुल 9.4800 है0 बारानी कृषि भूमि है, जिसमें प्रतिवादी सं09 1 नेकीराम का 1/3 हिस्सा है, जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपर वर्णित 1/3 हिस्सा जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 5 की दादालाई पुश्तैनी भूमि है, जिसमें उनका जन्म से हक हिस्सा है तथा वे जन्म से ही प्रतिवादी सं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 से 5 वादी की सगी बहने है, जिन्होने दिनांक 19.10.2017 को दीपावली के दिन वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर दिया है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी मदनलाल के बयान करवाये गये, अन्य साक्ष्य नहीं करवाना चाहते इसलिए साक्ष्य वादी बन्दी की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति

प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम जाटान खाता सं0 17/15 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम जाटान सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये एवं फोटो प्रति प्रमाणित खसरा परिशोधन पत्र भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम जाटान का पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम जाटान के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने जो फोटो प्रति प्रमाणित खसरा परिशोधन पत्र भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम जाटान की पेश किया है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि वादी के दादा मंगला वल्द बेगाराम के फौत होने के उपरान्त विरासतन वादी के दादा नेकीराम व मंगला के अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुई है और इस प्रकार विरासतन पीढी दर पीढी दर्ज होती चली आ रही है। इस प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रदर्शित असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में नेकीराम के वारिसान में पत्नि रेशमा फौत, तीन पुत्रियां सुदेश, भतेरी, अनु व दो पुत्र मदनलाल, गोविन्दराम मौजूद होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 17/15 के खसरा सं0 5 की 7.7650 है0 व खसरा सं0 134 की 1.6950 है0 इस प्रकार इस खाता की कुल 9.4800 है0 बारानी कृषि भूमि है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 नेकीराम का 1/3 हिस्सा दर्ज है के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 07/18

अनवान :

मदन लाल पुत्र नेकीराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. नेकीराम पुत्र मंगलाराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गोविन्दराम पुत्र नेकीराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुदेश
4. भतेरी
5. अन्नु

} पुत्रियान मंगलाराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

6. एच.के.एस.बी.बैंक भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थित में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 17/15 के खसरा सं0 5 की 7.7650 है0 व खसरा सं0 134 की 1.6950 है0 इस प्रकार इस खाता की कुल 9.4800 है0 बारानी कृषि भूमि है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 नेकीराम का 1/3 हिस्सा दर्ज है के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.3.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़